कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 88/2018 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री प्रमोद गोएल पुत्र स्व. श्री के. एस. गोएल 1 बी 26, एचआईजी,
चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा ।
---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।
---प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः–30.05.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा अधूरी सूचना उपलब्ध करवाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई हैं।

अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से पत्र क्रमांक 1373 दिनांक 15.11.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के पत्र कमांक 1373 दिनांक 15.11.2018 का अवलोकन करने से इनके द्वारा पत्र कमांक 1367 दिनांक 13.11.2018 से अपीलार्थी को सूचना भिजवाया जाना पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा कलेक्ट्रेट, हनुमानगढ़ के पत्रांक 13946 दिनांक 13.11.2018 की प्रति का अवलोकन करने से अपीलार्थी की रही हुई वांछित सूचना न्याय शाखा से सम्बन्धित होना प्रतीत होती है। ऐसी स्थिती में लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने से रही हुई वांछित सूचना न्याय शाखा से लेकर अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official